झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
अष्टम (बजट)सत्र
वर्ग–04

निम्नांकित तारांकित प्रश्न,गुरूवार, दिनांक– 03 चैत्र,1943 (श0) को 24,मार्च,2022 (ई0)

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
687.	कृष–36	श्री राज सिन्हा	लक्ष्य पूरा करना।	कृषि,पशु.एवं सहकारिता	08.03.22
688.	जा–31	डॉ0 सरफराज अहमद	विद्युत आपूर्ति नियमित करना।	ऊर्जा	11.03.22
689.	ज–45	श्री आलोक कुमार चौरसिया	रैयतों को मुआवजा देना।	जल संसाधन	12.03.22
690.	जा–32	श्री किशुन कुमार दास	ट्रांसफॉर्मर एवं पोल लगाना।	ऊर्जा	12.03.22
691.	कृष–37	श्री नलिन सोरेन	राशि का भुगतान करना।	कृषि,पशु.एवं सहकारिता	08.03.22
692.	खा–14	श्री अमित कुमार मंडल	दोषियों पर कार्रवाई करना।	खाद्य सार्व.वि. एवं उपभोक्ता मामले	05.03.22
693.	ज–38	श्रीमती सबिता महतो	जल भंडारण करना।	जल संसाधन	05.03.22
694.	ऊर्जा–26	श्रीमती ममता देवी	बिजली आपूर्ति करना।	ऊर्जा	08.03.22
695.	जा–20	श्री विनोद कुमार सिंह	ग्रामों का विद्युती–करण करना।	ऊर्जा	02.03.22
696.	जा–23	श्री सुदिव्य कुमार	बिजली व्यवस्था करना।	ऊर्जा	02.03.22
697.	मस–06	डॉ0कुशवाहा शशिभूषण मेहता	मानदेय भुगतान करना।	महिला बाल वि.एवं सा. सुरक्षा	24.02.22
698.	ज–40	श्री रामचन्द्र सिंह	डैम का निर्माण कराना।	जल संसाधन	08.03.22

01	02	03	04	05	06
699.	जा–29	सुश्री अम्बा प्रसाद	निर्णय वापस लेना।	ऊर्जा	08.03.22
700.	कृष–40	श्रीमती ममता देवी	कृषि ऋण माफ करना।	कृषि,पशु.एवं सहकारिता	14.03.22
701.	खा–02	श्री मथुरा प्रसाद महतो	बकाया राशि का भुगतान।	खाद्य सार्व.वि. एवं उपभोक्ता मामले	24.02.22
702.	ज–32	श्री अनंत कुमार ओझा	चैकडैम का निर्माण करना।	जल संसाधन	28.02.22
703.	जा–10	श्री मथुरा प्रसाद महतो	मुआवजा राशि देना।	ऊर्जा	24.02.22
704.	जा–30	श्री दीपक बिरूआ	टावर निर्माण कराना।	ऊर्जा	11.03.22
705.	खा–03	डॉ0 लम्बोदर महतो	कमीशन भुगतान करना।	खाद्य सार्व.वि. एवं उपभोक्ता मामले	24.02.22
706.	कृष–35	श्री निरल पुरती	डीप बोरिंग कराना।	कृषि,पशु.एवं सहकारिता	05.03.22
707.	जा–28	श्री राजेश कच्छप	विद्युत विपत्र निर्गत करना।	ऊर्जा	08.03.22
708.	क–14	श्री लोबिन हेम्ब्रम	विद्यालय का निर्माण कराना।	अनु.जा.अनु. जन.जा.अल्प.एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	03.03.22
709.	ज–39	श्री मनीष जायसवाल	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना।	जल संसाधन	05.03.22
710.	कृष–38	श्री नवीन जायसवाल	विभागीय दण्ड देना।	कृषि,पशु.एवं सहकारिता	09.03.22
711.	क–17	श्री कमलेश कुमार सिंह	कब्रिस्तान की घेराबंदी करना।	अनु.जा.अनु. जन.जा.अल्प.एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	11.03.22
712.	कृष–32	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	घाटों का निर्माण करना।	कृषि,पशु.एवं सहकारिता	03.03.22
713.	ज–41	श्री बिरंची नारायण	जीर्णोद्धार पूरा करना।	जल संसाधन	10.03.22
714.	ज–42	श्रीमती पुष्पा देवी	मुआवजा राशि का भुगतान करना।	जल संसाधन	11.03.22
715.	कृष–39	श्री कोचे मुण्डा	सेवा समाप्त करना।	कृषि,पशु.एवं सहकारिता	11.03.22
716.	क–09	श्री केदार हजरा	+2 का पढ़ाई प्रारम्भ करना।	अनु.जा.अनु. जन.जा.अल्प.एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	24.02.22
* 717.	कृष–14	श्री बंधु तिर्की	बकाया राशि का भुगतान करना।	कृषि,पशु.एवं सहकारिता	25.02.22

* खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से उत्तर प्राप्त।

01	02	03	04	05	06
719.	खा–13	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	बुनकरों को स्वावलंबी बनाना।	खाद्य सार्व.वि. एवं उपभोक्ता मामले	03.03.22
719.	क–18	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	आवासीय विद्यालय खोलना।	अनु.जा.अनु. जन.जा.अल्प.एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	15.03.22
720.	ज–44	श्री सुदेश कुमार महतो	योजना को प्रारम्भ कराना।	जल संसाधन	11.03.22
721.	ज–43	श्री कमलेश कुमार सिंह	सिंचाई क्षमता का सृजन कराना।	जल संसाधन	11.03.22
722.	जा–12	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	विद्युत आपूर्ति चालू करना।	ऊर्जा	24.02.22
723.	कृष–11	श्री मनीष जायसवाल	योजना का लाभ देना।	कृषि.पशु.एवं सहकारिता	24.02.22
724.	कृष–34	सुश्री अम्बा प्रसाद	कोल्ड स्टोरेज बनवाना।	कृषि.पशु.एवं सहकारिता	03.03.22
725.	ज–33	श्री अनंत कुमार ओझा	जल निकासी की व्यवस्था करना।	जल संसाधन	28.02.22
726.	जा–25	श्री अमित कुमार मण्डल	विभागीय कैम्प लगवाना।	ऊर्जा	03.03.22
727.	जा–27	श्री राज सिन्हा	सब्सिडी का लाभ देना।	ऊर्जा	08.03.22

रॉंची,
दिनांक–24 मार्च,2022ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0(प्रश्न)–05/2020–1396/वि0स0,रॉंची,दिनांक–21/3/22.

प्रतिलिपिः– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

21/03/22

(कुन्दन कुमार सिंह)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0(प्रश्न)–05/2020–1396/वि0स0,रॉंची,दिनांक–21/3/22.

प्रतिलिपिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव,सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

21/03/22

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0(प्रश्न)–05/2020–1396/वि0स0,रॉंची,दिनांक–21/3/22

प्रतिलिपिः– कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा एवं संयुक्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव, 21/03/22
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

(687)

श्री राज सिन्हा, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-24.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-36 का प्रश्नोत्तर-

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्री राज सिन्हा, माननीय सदस्य विधान सभा, झारखण्ड, राँची	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष-2021-22 के लिए धनबाद को कुल 14 केन्द्रों पर एम0एस0पी0 2050/- की दर से कुल एक लाख पन्द्रह सौ क्विंटल धान की अधि प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है ;	वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनबाद जिला में कुल 18 धान क्रय केन्द्र कार्यरत है, जो रू0 2050/- प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में धनबाद जिला में धान खरीद का लक्ष्य 150000.00 क्विंटल निर्धारित किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि.सरकार की उदासीनता एवं आवश्यक संसाधनों के अभाव में केवल दो केन्द्रों पर ही धान की अधिप्राप्ति हो सकी जो निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम है ;	अस्वीकारात्मक। धनबाद जिला में सभी 18 धान क्रय केन्द्रों पर निर्धारित दर पर धान खरीद की जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि सरकार की उदासीनता के कारण बिचौलियों को फायदा हुआ तथा किसानों से एम0एस0पी0 दर से नीचे उन्होंने धान की खरीद की है ;	अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार एम0एस0पी0 दर पर धान अधि प्राप्ति के लक्ष्य को पूरा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लक्ष्य की प्राप्ति के लिये विभाग प्रयासरत है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक-07/विधानसभा (तारांकित)-12/2022 सह0 347 /राँची, दिनांक- 21.03.2022

प्रतिलिपि-सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0-1085 वि0स0 दिनांक-08.03.2022 के क्रम में 200 चत्रलिखित प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.03.2022

सरकार के अवर सचिव।

688

डॉ० सरफराज अहमद, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०-31 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता डॉ॰ सरफराज अहमद, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत धुर्वा के न्यू पुंदाग मुहल्ला में बिजली पोल मकानों एवं सड़क की तरफ झुके हुए हैं, जिसमें जाल की तरह बिजली के तार लटके हुए हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि कई पोलों (खम्भों) पर विद्युतीकरण का कार्य पूरा नहीं किया गया है जिससे विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि विद्युत खपत की गणनानुसार ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक है। स्वीकृत लोड के अनुसार ट्रांसफार्मर लगाया गया है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूरे न्यू पुंदाग मुहल्ला में सिमेंट पोल के स्थान पर लोहे का पोल तथा उच्च क्षमता वाला ट्रांसफार्मर स्थापित कराकर नियमित रूप से विद्युत आपूर्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	आंशिक स्वीकारात्मक है। न्यू पुन्दाग मुहल्ला में नए-नए घरों/मकानों का निर्माण लगातार हो रहा है। अतएव निरीक्षण करवाकर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त ट्रांसफार्मर एवं पोल लगाने का कार्य एक माह के अन्दर पूरा करा लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 552 / दिनांक 21/03/2022

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(689) (689)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–45 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के सदर प्रखण्ड के ग्राम–पोलपोल में मलय जलाशय योजना कुण्डेलवा वितरणी (पोलपोल से नऊवाडेह) की खुदाई रैयतों को बिना मुआवजा दिये हुए लगभग चार दशक पहले कर दी गई थी,	आंशिक स्वीकारात्मक। मलय जलाशय योजना का निर्माण लगभग चार दशक पूर्व हुआ है। कुण्डेलवा वितरणी की खुदाई हेतु रैयतों को भुगतान की स्थिति पुराने अभिलेखों की जाँच के उपरान्त स्पष्ट हो सकेगा।
2.	क्या यह बात सही है कि रैयतों के द्वारा आन्दोलन किए जाने के पश्चात् विभाग द्वारा मौखिक आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र ही मुआवजा का भुगतान कर दिया जाएगा,	अस्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि रैयतों को बिना मुआवजा दिये अब इस नहर का पक्कीकरण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके कारण प्रभावित लोगों ने उस कार्य पर रोक लगा दिया गया है, और मुआवजा हेतु आन्दोलनरत है,	अस्वीकारात्मक। मलय जलाशय योजना का जीर्णोद्धार एवं पक्कीकरण का कार्य कराया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार प्रभावित रैयतों को मुआवजा का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कार्य स्थल पर किसी प्रकार का आन्दोलन नहीं हुआ है। पुनर्स्थापन तथा नहरों का पक्कीकरण कार्य लगभग 96 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। पूर्व में मात्र एक कृषक एवं अब कुछ अन्य कृषकों द्वारा मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत की जा रही है तथा कुण्डेलवा वितरणी के 2.10 कि०मी० के आगे कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। यह मामला लगभग चार दशक पुराना है। अतः ग्रामीणों को साक्ष्य सहित अभ्यावेदन समर्पित करने का सुझाव दिया गया है ताकि अभिलेखों की जाँच के उपरांत नियमानुसार उचित निराकरण किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–51/2022 – 1700 राँची, दिनांक 22/3/22

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1259 वि०स० दिनांक 12.03.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

E:\MIS Cell Dept\AS.BI.2022\New F\vidhan Sabha\Feb-March 2022\J-45 Alok Kumar Chaurasia.doc

690

श्री किशुन कुमार दास, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०-32 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री किशुन कुमार दास, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिला के अन्तर्गत नगड़ी प्रखण्ड के ईदगाह मुहल्ला नयासराय की आबादी 1000 (एक हजार) से अधिक है, लेकिन वहाँ ट्रांसफार्मर एवं बिजली के पोल अधूरे लगे हुए है जहाँ तार आदि भी जर्जर हो गए है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि नगड़ी प्रखण्ड के ईदगाह मुहल्ला, नयासराय ट्रांसफर्मर एवं तार के अधूरे लगे होने से ग्रामीणों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मुहल्ले में 200 के०वी० का ट्रांसफार्मर, पोल लगाने के साथ-साथ जर्जर तार को हटाकर कोभर तार लगाना चाहती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों?	ईदगाह मोहल्ला, नयासराय का विस्तृत सर्वेक्षण करवाकर आवश्यकतानुसार पोल/ तार/ ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य एक माह के अन्दर पूरा करा लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 551 / दिनांक 21/03/2022

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.03.22
21/3/22
(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

691

श्री नलिन सोरेन, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-24.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0-कृष-37 का प्रश्नोत्तर।

	प्रश्नकर्त्ता- श्री नलिन सोरेन, मा0स0वि0स0	उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बंजर भूमि राइस फेलो योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2018-19 में पाकुड़ जिला में 18 व गोड्डा जिला में 12 तालाब जर्णोद्धार योजना का काम शुरू कराया गया था;	अस्वीकारात्मक। बंजर भूमि/राईस फैलो योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में पाकुड़ जिला अन्तर्गत 54 एवं गोड्डा जिला अन्तर्गत 84 तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया था।
2	क्या यह बात सही है उपरोक्त दोनों जिलों (पाकुड़ व गोड्डा) में तालाब जीर्णोद्धार योजना का कार्य पूर्ण हो, गया है तथा पदाधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन भी कर लिया गया है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है उपरोक्त तालाब जीर्णोद्धार योजना का कार्य-2019-20 से अबतक लाभुकों को राशि का भुगतान नहीं किया गया है, और लाभुक परेशानी झेल रहे हैं;	अस्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्य के विरूद्ध पाकुड़ जिला में रू. 625.32601 लाख तथा गोड्डा जिला में रू. 989.206 लाख का भुगतान पानी पंचायत को किया गया था।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार दो वर्ष बीतने के बाद भी उपरोक्त तालाब जीर्णोद्धार योजना के लाभुकों को राशि भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति उपरोक्त कंडिकाओं में स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(ता0)-23/2022 612 /कृ0, राँची, दिनांक- 22/03/2022

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-1112 दिनांक-08.03.2022 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(ता0)-23/2022 612 /कृ0, राँची, दिनांक- 22/03/2022

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

692

दिनांक 24.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा० 14 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री अमित कुमार मंडल
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी गोड्डा के पत्रांक 684, दिनांक 23.07.2021 के माध्यम से पथरगामा प्रखण्ड में माह अप्रैल, 2021 तथा बसंतराय प्रखण्ड में माह जून–2021 के लिए खाद्यान्न वितरण नहीं की गई है, इस संबंध में कार्रवाई किये जाने का निर्देश विभागीय पत्रांक–1984, दिनांक 05.06.2021 के माध्यम से निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय एवं प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को दिया गया है एवं भौतिक जाँच का निर्देश विभागीय पत्रांक–2316, दिनांक 06.09.2021 के माध्यम से निदेशक खाद्य एवं उपभोक्ता मामले को दिया गया है। जो जाँच, पाँच माह के बाद भी लंबित है।	गोड्डा जिलान्तर्गत पत्थरगामा प्रखण्ड में माह अप्रैल, 2021 एवं प्रखण्ड बंसतराय में माह जून, 2021 के लिए लाभुकों को खाद्यान्न वितरण नहीं किये जाने के संबंध में स्थल जाँच/भौतिक जाँच किये जाने का निदेश विभागीय पत्रांक–2316, दिनांक 06.09.2021 के माध्यम से निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय को दिया गया था। निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय के ज्ञापांक–1807, दिनांक 14.12.2021 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार पत्थरगामा प्रखण्ड में माह अप्रैल, 2021 तथा बंसतराय प्रखण्ड में माह जून, 2021 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न उपलब्ध था एवं आहार पोर्टल के अनुसार लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण किया गया है, परन्तु जाँच के क्रम में डिलरों एवं लाभुकों द्वारा इस तथ्य को सम्पुष्ट किया गया कि संबंधित माह के लिए संबंधित प्रखण्ड अन्तर्गत खाद्यान्न डिलरों को प्राप्त नहीं हुआ एवं लाभुकों को वितरण नहीं किया गया। इस संबंध में खाद्यान्न का विचलन हेतु जिम्मेदारी तय करने के लिए उपायुक्त, गोड्डा स्तर से जिला स्तरीय जाँच समिति बनाने की अनुशंसा निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय द्वारा की गई है।
(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अबतक खण्ड–1 के आलोक में कौन–कौन सी कार्रवाई की गई है और कब तक समुचित विभागीय कार्रवाई कर दोषियों के विरूद्ध दण्ड निर्धारण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 49, दिनांक 06.01.2022 द्वारा जिला स्तरीय जाँच समिति हेतु उपायुक्त, गोड्डा से अनुरोध करते हुए इस पर आवश्यक कार्रवाई का निदेश निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय को दिया गया जिसके आलोक में निदेशक के पत्रांक–54, दिनांक 11.01.2022 द्वारा उपायुक्त, गोड्डा से जिला स्तरीय जाँच समिति गठित करने का अनुरोध किया गया। इसके पश्चात् पुनः निदेशालय के पत्रांक 128, दिनांक 28.01.2022 एवं पत्रांक 372, दिनांक 08.03.2022 द्वारा उपायुक्त, गोड्डा को स्मारित किया गया। तद्नुसार उपायुक्त, गोड्डा द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी गोड्डा की अध्यक्षता में जाँच समिति गठित कर दी गई है एवं जाँच समिति के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

ह0/–
(ज्योति कुमारी झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–29/2022 934 /राँची, दिनांक 22/03/22

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–958, दिनांक 05.03.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/03/2022

सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती सबिता महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–38 का उत्तर प्रतिवेदन :– (693)

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सराकेला–खरसावाँ जिलान्तर्गत ईचागढ़ विधान–सभा के चाण्डिल बाँध से विस्थापितों को आज तक सम्पूर्ण पुर्नवास सुविधा मुहैया नहीं करायी जा सकी है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि चाण्डिल बाँध के जल भण्डारण की क्षमता वर्षो से RL-180 मीटर के नीचे रही है, परन्तु विभागीय आदेश ज्ञापांक–77 दिनांक–20.01.2022 द्वारा RL-183 मीटर रखने हेतु आदेश निर्गत किया गया है, जिससे सम्पूर्ण प्रभावित क्षेत्र में बाढ़/डूब क्षेत्र की स्थिति बन जायेगी ;	आंशिक स्वीकारात्मक। चांडिल बाँध के डूबक्षेत्र में पड़ने वाले भूमि का अधिग्रहण हो चूका है एवं रैयतों को मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है। लोकहित, परियोजना हित एवं राशि की उपलब्धता के आलोक में चरणबद्ध रूप से विस्थापितों को पुनर्वास सुविध मुहैया किये जाने तथा जलाशय का जल स्तर बढ़ाने का कार्यक्रम है। वर्त्तमान में प्रथम चरण में 183 मीटर के लेवल तक के ग्रामों के विस्थापितों को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत सभी पुनर्वास अनुदान भुगतान करने का कार्यक्रम है। इसके पश्चात जलाशय का जलस्तर 183 मीटर तक किया जा सकेगा।
3.	क्या यह बात सही है कि चाण्डिल बाँध से विस्थापितों की वरीयता सूची वर्ष–2003 के आधार पर परियोजना/जिला के विभिन्न कार्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय रिक्त पदों पर नियोजन की व्यवस्था आजतक नहीं की गयी है ;	स्वीकारात्मक। जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार की पुनरीक्षित पुनर्वास नीति 2003एवं 2012 की कंडिका–9 में विस्थापित को जल संसाधन विभाग के वर्ग–03 एवं वर्ग–04 की नियुक्ति में 3 वर्ष आयु सीमा मे छूट का प्रावधान है।
4.	क्या यह बात सही है कि विस्थापित 22 पुर्नवास स्थलों में सम्पूर्ण बुनियादी सुविधा/विकास आजतक नहीं हो पायी है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। विस्थापित परिवारों को बसाने हेतु चिन्हित 22 पुनर्वास स्थलों मे से 13 पुनर्वास स्थल विकसित किया गया है। विकसित पुनर्वास स्थलो पर 1358 परिवारों आवासित है तथा रिक्त भू–खण्डो पर विस्थापित परिवारों को बसाने हेतु मुहिम चलायी जा रही है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर्युक्त खण्डों में वर्णित कार्यो को अविलम्ब पूर्ण करने के साथ–साथ चाण्डिल बाँध के जल भंडारण की क्षमता को पूर्व की भांति RL-180 मीटर के नीचे रखने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं क्यों ?	चांण्डिल बाँध के निर्माण हेतु निहित उद्देश्य, यथा ,सिंचाई पन बिजली उत्पादन एवं बाढ़ सुरक्षा के लिए RL 192m तक जल संचयन किया जाना है। निहित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु चरणवद्ध तरीके से कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 08/ज०स०वि०–20–तारां०–43/2022 – 1725 /राँची, दिनांक 23/3/22

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 960 वि०स० दिनांक 05.03.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कॉके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना चाण्डिल/ईचा गालूडीह कम्पलेक्स/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/3/22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

694

श्रीमती ममता देवी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–26 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती ममता देवी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला के गोला प्रखण्ड के साइम डुमर बेड़ा गाँव में बिजली कनेक्शन होने बावजूद अभी तक बिजली नहीं पहुँची है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि साइम डुमर बेड़ा गाँव में 3 वर्ष पूर्व प्रत्येक घर में बिजली का मीटर लगा दिया गया था, परन्तु गाँव में अभी तक बिजली का खंभा तार एवं ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया है एवं एवं ग्रामीणों को बिजली बिल भी भेजा जा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। उक्त गाँव में मात्र 06 घर है जो कि सुदूरवर्ती जंगल क्षेत्र में स्थित है। उक्त 06 ग्रामीणों के द्वारा बाँस-बल्ली के माध्यम से पूर्व से ही विद्युत का उपभोग कर रहे है।
3. क्या यह बात सही है कि साइम बेड़ा गाँव सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र एवं हाथी प्रभावित क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक है।
4. क्या यह बात सही है कि ग्रामीणों एवं मेरे द्वारा भी बार-बार विभाग को सूचित किया गया, परंतु अभी तक विभाग के द्वारा कार्य की शुरूआत धरातल पर नहीं हो पाई है;	विभाग द्वारा साइम डुमर बेड़ा गाँव में बाँस-बल्ली हटा कर बिजली का खंभा लगाकर ट्रांसफार्मर स्थापित करने के कार्य की प्रकिया प्रारंभ की गई है, जिसे माह जून 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
5. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अविलम्ब साइम डुमर बेड़ा गाँव में बिजली पहुँचाने सहित आवश्यक कार्य करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	विभाग द्वारा साइम डुमर बेड़ा गाँव में आगामी 03 माह के अंदर 1.08 कि०मी० 11 के०मी० लाईन बनाने एवं ट्रांसफार्मर स्थापित करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 550 / दिनांक 21/03/2022

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(695)

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०-20 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री बिनोद कु० सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखंड में ग्राम पड़रिया का एक टोला एवं सरिया प्रखंड के बरवाडीह पंचायत में पदना टोला विद्युतीकरण से वंचित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। बिरनी प्रखंड के ग्राम पड़रिया में एंव सरिया प्रखण्ड के बरवाडीह पंचायत के गाँव बरवाडीह में DDUGJY योजना अंतर्गत विद्युतीकृत किया गया है। सरिया प्रखण्ड के पंदना टोला में 7 नये घर एवं बिरनी प्रखंड के ग्राम पड़रिया के टौला में 4 नये घर अवस्थित है, का विद्युतीकरण कार्य माह मई 2022 तक पूर्ण किया जायेगा।
2. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बगोदर-सरिया व बिरनी प्रखंड के 50 से ज्यादा ग्राम केवल वायरिंग से वंचित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। बगोदर, सरिया व बिरनी प्रखण्ड के सभी 317 अदद् गाँव में नया LT लाईन AB Cable से बनाया गया है, एवं पूर्व से अच्छादित Overhead LT लाईन को आंशिक या पूर्ण रूप से LT AB Cable द्वारा बदला गया है। शेष बचे Overhead LT लाईन को आगामी योजना में आवश्यकता अनुसार LT AB Cable से बदलने का कार्य पूर्ण किया जायेगा।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वंचित टोले/ग्राम का विद्युतीकरण व शेष ग्रामों में केबल वायरिंग कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	सरिया प्रखण्ड के पंदना टोला एवं बिरनी प्रखण्ड के ग्राम पड़रिया के टोला का विद्युतीकरण कार्य माह मई 2022 तक पूर्ण किया जायेगा। बगोदर, सरिया व बिरनी प्रखण्ड के शेष बचे Overhead LT लाईन को आगामी योजना में आवश्यकता अनुसार LT AB Cable से बदलने का कार्य पूर्ण किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 534 / दिनांक 16/03/2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/22
(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(696)

श्री सुदिव्य कुमार, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा-23 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री सुदिव्य कुमार, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह विधान सभा अन्तर्गत पीरटांड़ प्रखण्ड के मधुबन पंचायत के ग्राम-ढोलकट्टा, चिरूवाबेड़ा एवं अन्य कई टोलो में वर्तमान समय तक बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि बिजली नहीं होने के कारण वर्णित गाँव एवं टोलों में निवास करने वाले बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है तथा ग्रामीणों को काफी कठिनाई करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित गाँवों में बिजली की समुचित व्यवस्था कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	ग्राम-ढोलकट्टा, चिरवाबेड़ा एवं अन्य गाँव, जो कि पंचायत पारसनाथ, जिला-गिरिडीह अन्तर्गत है, का विद्युतीकरण किया गया है एवं वहाँ विद्युत आपूर्ति हो रही है। ढोलकट्टा एवं चिरूवाबेड़ा के अन्य टोला में पहुँच पथ उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्तमान मे जेडा को सोलर पी०भी० से विद्युतीकरण हेतु अनुरोध किया गया है। इसे शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 532 / दिनांक 16/03/2022

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(697)

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– अ.प्र–06 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने हेतु आँगनबाड़ी केन्द्रो के माध्यम से बच्चों को पोषाहार राशि का वितरण किया जाता है साथ ही इसके प्रबंधन हेतु पोषण सखीयों का चयन किया गया है, इसके एवज में उन्हें न्यूनतम मानदेय प्राप्त होता है ;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पिछले आठ महीनों से बच्चों को पोषाहार राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा पोषण सखियों को मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार बच्चों के बीच अविलंब लम्बित पोषाहार राशि का वितरण कराने एवं पोषण सखियों को मानदेय भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	i. आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित पूरक पोषाहार कार्यक्रम अन्तर्गत 06–36 माह के बच्चों तथा 06–72 माह के कुपोषित बच्चों को पूरक पोषाहार स्वरुप Take Home Ration (THR) तथा 03–06 वर्ष के बच्चों को गर्म ताजा पोषाहार (Hot Cook Meal) उपलब्ध कराया जाता है। इन बच्चों को किसी प्रकार की पोषाहार राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है। बच्चों को प्रदाय पूरक पोषाहार निर्धारित मात्रा में नियमित रुप से उपलब्ध कराया जा रहा है। ii. विभागीय संकल्प संख्या–2126, दिनांक–21.09.2015 द्वारा राज्य के छः जिलों में अतिरिक्त आँगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी (पोषण सखी) का चयन केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत् किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी (पोषण सखी) का मानदेय बंद कर दिया गया है। इस स्थिति में पोषण सखी के मानदेय भुगतान की कार्रवाई लंबित है। अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी (पोषण सखी) की सेवा बनाये रखने एवं इन्हें राज्य संसाधन से मानदेय भुगतान करने संबंधी मामला सम्प्रति विभागान्तर्गत विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/विधान सभा– 91/2022 – 890 राँची, दिनांक 23/03/2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–447/वि0स0 दिनांक–24.02.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरशद जमील)

सरकार के अवर सचिव।

(698)

माननीय स0वि0स0, श्री रामचन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 24.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–ज–40 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्रं0	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के मेराल प्रखंड अन्तर्गत पढुआ ग्राम पंचायत में पढुआ गांव के समीप सुखड नदी पर सिंचाई डैम का निर्माण कराने के लिए विभाग द्वारा पूर्व में सर्वे कराया जा चुका है।	स्वीकारात्मक। वर्ष 2010 में सीमित सर्वे हुआ था जिससे यह पता लगाया जा सके कि योजना का निर्माण संभव है अथवा नहीं।
	क्या यह बात सही है कि उपुर्यक्त स्थान पर सिंचाई डैम का निर्माण होने से लगभग 40 से 50 हजार किसानों को सिंचाई का साधन उपलब्ध होने की जानकारी विभाग को है।	अस्वीकारात्मक। प्रस्तावित स्थल पर वीयर योजना का निर्माण कर दोनों तरफ नहरें निकालकर गढ़वा जिला के मेराल एवं रमना प्रखंड के लगभग 29 गांवों में सिंचाई सुविधा दी जा सकती है।
2.	यदि उर्पयुक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है ,तो, क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित सिंचाई डैम के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नही तो क्यो ?	नहरें निकाले जाने की शुरूआती संभावना को देखते हुए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल की उपलब्धता का आकलन आगामी वित्तीय वर्ष में कर निर्णय लिया जा सकेगा।

अनु०– पूरक सामग्री।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 1696 /राँची, दिनांक– 22/03/2022

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक सं0– 1086, दिनांक– 08.03.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 20 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/22

सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची

Ramesh CEMed

699

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–29 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला अंतर्गत पतरातू प्रखण्ड के ग्राम पंचायत हेसला के निवासियों को पी.टी.पी.एस., शेष परिसम्पत्ति प्रशासक जो ऊर्जा विभाग, सचिवालय झारखण्ड सरकार के अधीन है द्वारा जनता नगर (हेसला) पी.टी.पी.एस. के 212 आवासों एवं अन्य आवासों को खाली करने का निर्देश दिया गया है जिससे उक्त ग्राम पंचायत में अफरा–तफरी एवं कोहराम का माहौल बना हुआ है।	आंशिक स्वीकारात्मक। जनता नगर (हेसला), पी.टी.पी.एस., पतरातू स्थित कुल 211 आवासों एवं 02 प्रतिष्ठानों को खाली कराने हेतु व्यक्तिगत नोटिस दिया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के द्वारा कंडिका एक में वर्णित पंचायत के कुल 222 एकड़ भूमि जियाडा को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है जिससे लगभग 40–50 वर्षों से निवास कर रहे 5500 लोग प्रभावित होंगे एवं पूरे पंचायत का अस्तित्व संकट में आ जाएगा।	आंशिक स्वीकारात्मक। ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेशानुसार जनता नगर (हेसला), पी.टी.पी.एस., पतरातू स्थित कुल 298 एकड़ भूमि उद्योग विभाग के अंतर्गत जियाडा को सौंपने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है।
3. क्या यह बात सही है कि कंडिका एक में वर्णित क्षेत्र की कुल 222 एकड़ भूमि वर्ष–2017 में पूर्व सरकार के द्वारा जियाडा को हस्तांतरित की गई थी।	ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेशानुसार जनता नगर (हेसला), पी.टी.पी.एस., पतरातू स्थित कुल 298 एकड़ भूमि वर्ष 2017 में उद्योग विभाग के अंतर्गत जियाडा को सौंपने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है।
4. क्या यह बात सही है कि आवास खाली कराने के आदेश को लेकर मानसिक दबाव में आए आवंटियों ने माननीय उच्च न्यायालय का सहारा लिया परंतु 18.02.2022 को प्रशासक (शेष परिसम्पत्ति) कार्यालय के द्वारा पुनः आवासों को अविलंब खाली कराने का नोटिस प्राप्त हुआ है।	इस संबंध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय से प्राप्त वादों के संबंध में प्रतिशपथ पत्र दायर करने की कार्रवाई की जा रही है। माननीय न्यायालय से अबतक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। अतः आवास खाली कराने की प्रक्रिया जारी है।
5. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध कंडिका एक में वर्णित स्थान को जियाडा को हस्तांतरित करने के निर्णय को वापस लेते हुए पूर्व की तरह यथावत रखने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 553 / दिनांक 21/03/2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.03.22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(700)

श्रीमती ममता देवी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-24.03.2022 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-कृष-40 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता- श्रीमती ममता देवी, मा०स०वि०स०		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा संचालित कृषि ऋण माफी का लाभ सभी किसानों को नहीं मिल पा रहा है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कृषि ऋण माफी योजना में राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि बहुत ऐसे किसान है, जिनका अभी तक उनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना अन्तर्गत प्रत्येक कृषक परिवार से मात्र एक मानक के०सी०सी० ऋणधारी कृषक को योजना का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। उक्त के आलोक में e-KYC हेतु राशन कार्ड की अनिवार्यता निर्धारित की गयी है।
3	क्या यह बात सही है बहुत सारे किसान जिनका खाता एन०पी०ए० हो गया है, उन्हें कृषि ऋण माफी योजना से वंचित रखा गया है;	स्वीकारात्मक। प्रथम चरण में झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना अन्तर्गत केवल मानक कृषि ऋण को माफ किये जाने का निर्णय लिया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार कृषि ऋण माफी योजना से राशन कार्ड की बाध्यता समाप्त करते हुए एन०पी०ए० हुए किसानों को भी कृषि ऋण माफी योजना का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान में एन०पी०ए० हुए किसानों को भी झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ०वि०स०(ता०)-27/2022 601 /कृ०, राँची, दिनांक-31-03-2022

प्रतिलिपिः- उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०-1296 दिनांक-14.03.2022 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ०वि०स०(ता०)-27/2022 601 /कृ०, राँची, दिनांक-31-03-2022

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोयांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

(701)

दिनांक 24.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या खा०–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री मथुरा प्रसाद महतो
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत टुंडी विधान–सभा क्षेत्र के तहत् COVID-19 विषम महामारी लोक डाउन के समय सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कई अतिरिक्त मुख्यमंत्री दाल–भात योजना केन्द्रों का संचालन किया जा रहा था,	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, धनबाद द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि टुण्डी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कोविड काल में विशेष दाल–भात केन्द्र 05 (पाँच), विशिष्ट दाल–भात केन्द्र 11 (ग्यारह), प्रवासी दाल–भात केन्द्र 02 (दो) अर्थात् कुल 18 अतिरिक्त केन्द्रों का संचालन किया गया था।
(2) क्या यह बात सही है कि उक्त संचालित केन्द्रों का भुगतान राशि अभी तक बकाया है,	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, धनबाद द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान सभी केन्द्रों पर प्रत्येक लाभुक से प्राप्त होने वाली रूपये 5/– के स्थान पर उन्हें निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया गया था। प्रत्येक लाभुक से प्राप्त होने वाली रूपये 5/– राशि की प्रतिपूर्ति गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन (आपदा प्रबंधन प्रभाग) विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा जिलों को किया जाना था जिसके विरूद्ध जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद से प्राप्त आवंटन के आलोक में कुल 18 (अठारह) केन्द्रों में से 11 (ग्यारह) केन्द्रों को पूर्ण राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष नियमित केन्द्र, विशेष केन्द्र, विशिष्ट केन्द्र एवं एन०एच० प्रवासी दाल–भात केन्द्रों (टुण्डी विधान सभा के 07 केन्द्रों को सम्मिलित करते हुए) कुल रूपये 31,50,000/– के आवंटन की माँग उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक 5589, दिनांक 09.09.2021 द्वारा सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन (आपदा प्रबंधन प्रभाग) विभाग, झारखण्ड, राँची से किया गया है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त केन्द्रों का भुगतान राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन (आपदा प्रबंधन प्रभाग) विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 140, दिनांक 14.03.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि उपायुक्त, धनबाद को शेष राशि 31,50,000/– रूपये का आवंटन उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। आवंटन प्राप्त होते ही केन्द्र संचालकों के बकाये राशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

ह0/–
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–6/2022 838 /राँची, दिनांक 22/03/22

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 268, दिनांक 24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/03/22
सरकार के अवर सचिव।

(702)

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक- 24.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-32 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के राजमहल प्रखण्ड अन्तर्गत दरला नाला पर चेक डैम निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के पश्चात् मात्र 20 प्रतिशत कार्य हो पायी है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड एक में वर्णित चेक डैम निर्माण कार्य प्राक्कलित राशि के आवंटन अभाव में बन्द पड़ी हुई है, जिससे स्थानीय कृषक सिंचाई सुविधा से वंचित है;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त वर्णित बन्द पड़ी योजना की राशि आवंटन कर अविलम्ब निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	सहेबगंज जिला के राजमहल प्रखण्ड अंतर्गत दरला नाला चेकडैम संख्या–1 एवं 2 का कार्य पूर्ण हो गया है। दोनो योजनाओं से खरीफ में 60 हे0 एवं रब्बी में 20 हे0 सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। उक्त योजनाओं से किसानों को सिंचाई का लाभ प्राप्त हो रहा है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6 / ज०सं०वि०–20–तारां0– 36 / 2022 1702 / राँची, दिनांक– 22/03/22

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–748 दिनांक–28.02.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय कॉके, रोड / उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

703

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–10 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत पूर्वी टुण्डी प्रखण्ड के ग्राम–मैरानाबाटांड़ निवासी मोहन रक्षित, पिता–भुवन रक्षित का टूटे हुए विद्युत तार से स्पर्शाघात होने के उपरांत इलाज के दौरान राँची RIMS में दिनांक 13.06.2020 को मृत्यु हो गई थी;	महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, धनबाद के पत्रांक 335 दिनांक 02.03.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त स्थान पर दिनांक 28.05.2020 से 31.05.2020 तक किसी प्रकार का कोई तार टूटने की घटना नहीं हुई है। उस दौरान किसी व्यक्ति के विद्युत स्पर्शाघात होने की सूचना विभाग को नहीं मिली है।
2. क्या यह बात सही है कि घटना विद्युत विभाग के स्थानीय पदाधिकारी/ कर्मचारी द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण घटित हुई;	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लोकहित में उक्त मृत के परिजन को 10–लाख रूपये मुआवजा एवं एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 456 / दिनांक 08/03/2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/03/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

704

श्री दीपक बिरूवा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–30 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री दीपक बिरूवा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत गोइलकेरा प्रखण्ड के चक्रधरपुर–मनोहरपुर राष्ट्रीय उच्च पथ के किनारे स्थित खाना नं.–74, प्लॉट नं.–111, रकबा 1.55 एकड़ भूमि पर बिजली टावर का निर्माण हेतु स्थल चिन्हित किया गया है।	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति एवं खतियानी रैयत से बिना अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बगैर उक्त वर्णित प्लॉट को चिन्हित किया गया है।	स्वीकारात्मक है। संचरण लाईन के निर्माण के लिए ग्राम सभा एवं खतियान रैयतों की अनापति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह परियोजना झारखण्ड सरकार के द्वारा पारित है। संचरण लाईन में पड़ने वाले टावर का निर्माण के लिए रैयतों की जमीन का उपयोग करने की शक्ति Indian Telegraph Act 1985 Section 10 और 16 तथा Indian Electricity Act 2003 Section 164 में दर्शाया गया है। इस संचरण लाईन का निर्माण Indian Telegraph Act 1885 (Section 10 & 16) एवं Indian Electricity Act 2003 के Section 164 के तहत निर्माण के संबंध में सर्वसाधारण को ज्ञापित करने के लिए समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशन भी किया जा चुका है। उक्त परियोजना को झारखण्ड सरकार के द्वारा संकल्प पत्र संख्या 03/ऊ.(यो) 32/16 (ज्ञापांक संख्या 461) दिनांक 21.02.18 द्वारा अनुमोदित किया गया है एवं कुल 11 टावरों का निर्माण होना है जिसमें से 08 टावर का निर्माण भी हो चुका है। 08 रैयतों को नोटिस दिया गया, कागजात लिया गया है एवं जिसके एवज में उचित मुआवजा दिया जा चुका है। सिर्फ 03 रैयतों द्वारा अपने जमीन में टावर निर्माण का विरोध जताया जा रहा है एवं नोटिस लेने से इंकार किया गया एवं जमीन संबंधी दस्तावेज भी नहीं दिया जा रहा है जिससे बाधा उत्पन्न हो रहा है। उक्त 03 टावर के संबंधित रैयतों को भी उचित मुआवजा दिया जाएगा। उक्त जमीन का मालिकाना हक रैयतों के पास ही रहेगा एवं उस पर खेती भी किया जा सकता है।
3. क्या यह सही है कि उक्त विषय पर उपायुक्त, चाईबासा, प. सिंहभूम के पत्रांक 73 (बी), दिनांक 12.01.2022 द्वारा स्थानीय प्रशासन को चिन्हित किये गए भूमि के स्थान पर तसर विभाग के खाली जमीन से होते हुए टावर निर्माण किये जाने आदेश निर्देशित है।	पत्रांक 73 (बी) दिनांक 12.01.2022 इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु इस परियोजना का Route Profile पहले से ही सरकार द्वारा सत्यापित है। संकल्प पत्र संख्या 03/ऊ.(यो)32/16 (ज्ञापांक संख्या 461) दिनांक 21.02.2018 झारखण्ड सरकार द्वारा अनुमोदित है तथा समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया जा चुका है। उक्त संचरण लाईन में कुल 11 टावर में से 08 टावर का निर्माण हो चुका है एवं रैयतों को उचित मुआवजा भी दिया जा रहा है। उक्त संचरण लाईन पूर्व में बनाये गए अन्य संचरण लाईन

	को क्रॉस (Cross) कर रहा है एवं आगे पीछे टावर का भी निर्माण हो चुका है। जिसके कारण तकनीकी, तौर पर स्थान परिवर्तन करना संभव नहीं है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–3 के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	स्थान परिवर्तन हेतु तकनीकी तौर पर परीक्षण किया गया परन्तु परिवर्तन संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 554 / दिनांक 21/03/2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(705)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
दिनांक 24.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या खा०–03 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
डॉ० लम्बोदर महतो
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उरांव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता
मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि पूरे झारखण्ड में गरीबों को दी जाने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना/ अन्त्योदय अन्न योजना/अन्नपूर्णा योजना आदि के तहत् बी०पी०एल० परिवार को अनाज उपलब्ध कराया जाता है जिसमें गोदाम प्रबंधन द्वारा जन वितरण प्रणाली के दुकानदार को अनाज कम दी जाती है;	जन वितरण प्रणाली के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। संबंधित योजनान्तर्गत निर्गत होने वाले भण्डार निर्गमादेश (SIO) के आधार पर गोदाम प्रबंधक के द्वारा जन वितरण प्रणाली के दुकानदार को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। खाद्यान्न वितरण योजनाओं के तहत निर्धारित मात्रा से कम वजन में लाभुकों को खाद्यान्न दिए जाने की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं जिसके निवारण हेतु जन वितरण प्रणाली दुकानों में इलेक्ट्रोनिक वेईंग मशीन के अधिष्ठापन का निर्णय लिया गया है एवं इस हेतु कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है। इलेक्ट्रोनिक वेईंग मशीन के अधिष्ठापन होने से जन वितरण प्रणाली दुकानदार तौल कर खाद्यान्न प्राप्त करेंगे एवं लाभुकों को तौलकर निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न का वितरण करेंगे।
(2) क्या यह बात सही है कि पी०डी०एस० दुकानदारों को मिलने वाली कमीशन की राशि का भुगतान ससमय नहीं किया जाता है;	राज्य में जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्त्योदय अन्न योजना एवं पूर्वविक्ता प्राप्त योजना तथा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों को एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। लाभुकों से एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलने वाली राशि को जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा डीलर कमीशन के रूप में रख ली जाती है। इस प्रकार खाद्यान्न का वितरण होते ही जन वितरण प्रणाली दुकानदार को डीलर कमीशन की राशि प्राप्त हो जाती है। जहाँ तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत डीलर कमीशन के भुगतान का प्रश्न है, इस योजना में लाभुकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। संबंधित योजनान्तर्गत खाद्यान्न वितरण कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा रूपये 87/– (सतासी रूपये) प्रति क्विंटल की दर से डीलर कमीशन के भुगतान के लिए Central Assistance की राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। शेष 100 – 87 = 13 रूपये प्रति क्विंटल की राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। इस हेतु राज्य निधि से कुल 57,86,99,115/– रूपये (सत्तावन करोड़ छियासी लाख निन्यानबे हजार एक सौ पन्द्रह रूपये) का आवंटन डीलर कमीशन के भुगतान हेतु किया गया है। साथ ही, भारत सरकार से खाद्यान्न के परिवहन एवं डीलर कमीशन के भुगतान हेतु 95.19 करोड़ Central Assistance की राशि दिनांक 24.02.2022 को PFMS के माध्यम से प्राप्त हुई है जिसे जिलों को उपलब्ध कराते हुए भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अनाज की कटौती करने वाले दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित करते हुए कार्रवाई के साथ–साथ कटौती की गई अनाज का फिर से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों एवं लाभुकों को देते हुए पी०डी०एस० दुकानदारों के कमीशन का ससमय भुगतान करना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	खाद्यान्न वितरण योजनाओं के तहत जन वितरण प्रणाली दुकानदार को भण्डार निर्गमादेश (SIO) के अनुरूप खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। जन वितरण प्रणाली दुकान को कार्डधारियों की संख्या के अनुसार मासिक आवंटन निर्गत किया जाता है। मासिक वितरण के उपरांत जन वितरण प्रणाली दुकान में कुछ खाद्यान्न अवशेष बच जाता है। उस अवशेष खाद्यान्न को आगामी माह के आवंटन से समायोजन करते हुए SIO तैयार करते हुए खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि अवशेष बचे खाद्यान्न की Proper accounting हो सके। इस प्रकार जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के पास अवशेष बचे खाद्यान्न को समायोजित कर आवंटन दिया जा किया जा रहा है एवं उनको देय खाद्यान्न के आवंटन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न वितरण के उपरांत लाभुकों से प्राप्त होने वाली राशि जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को वितरण के साथ ही डीलर कमीशन के रूप में प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई विलंब नहीं होता है।

ह0/–
(ज्योति कुमारी झा),
सरकार के अवर सचिव।
/राँची, दिनांक 22/03/22

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–6/2022 856
प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–269, दिनांक 24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/03/2022
सरकार के अवर सचिव।

706

श्री निरल पुरती, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-24.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-कृष-35 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता- श्री निरल पुरती, मा०स०वि०स०		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत "जलनिधि" योजना के अधीन किसानों/लाभुकों के लिए 102 डीप बोरिंग एवं 110 पी०टी० का लक्ष्य निर्धारित की गयी थी;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है पश्चिमी सिंहभूम जिला में मात्र 22 पी०टी० स्वीकृत की गयी है;	अस्वीकारात्मक। पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जलनिधि योजना के तहत् 39 परकोलेशन टैंक (पी०टी०) एवं 32 डीप बोरिंग हेतु जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, चाईबासा द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पश्चिमी सिंहभूम में वित्तीय वर्ष 2021-22 में लक्ष्य के अनुरूप शेष डीप बोरिंग एवं पी०टी० की स्वीकृति/राज्यादेश देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्न क्रमांक-1 में वर्णित सम्पूर्ण लक्ष्य हेतु राज्यादेश सं0-12 दिनांक-11.06.2021 एवं शुद्धि-पत्र सं0-39 दिनांक-23.11.2021 निर्गत है। उक्त राज्यादेश एवं शुद्धि पत्र के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में लक्ष्य के अनुरूप शेष डीप बोरिंग एवं पी०टी० की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ०वि०स०(ता०)-22/2022 613 /कृ०, राँची, दिनांक- 22/03/2022

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-961 दिनांक-05.03.2022 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/22

(विभाष चन्द्र सिंह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ०वि०स०(ता०)-22/2022 613 /कृ०, राँची, दिनांक- 22/03/2022

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/03/22

सरकार के अवर सचिव।

Z:/G Drive/Vidhan Sabha/Question Answer/T

707

श्री राजेश कच्छप, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०-28 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री राजेश कच्छप, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि खिजरी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत अनगड़ा प्रखण्डाधीन हेसातु पंचायत के ग्राम पैलधौंसा के टोला-महुआटोली, पिपरटोली, कुसूमटोली, मिचाईटोली एवं सारूबेड़ा में विद्युत कनेक्शन B.P.L परिवारों को Agency द्वारा दिया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड-01 में वर्णित टोलों के उपभोक्तओं को एक साथ दो-दो बार अवर प्रमण्डल कार्यालय से विद्युत विपत्र निर्गत किया जा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड-02 में वर्णित एक ही उपभोक्ता को बिजली बिल का दो विद्युत विपत्र मिलने से ऊहापोह की स्थिति बन गई है और उपभोक्ता बिजली बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त खण्डों में वर्णित विषय पर उपभोक्ताओं को टाटीसिलवे अवर प्रमण्डल कार्यालय से विद्युत विपत्र निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	राँची जिलान्तर्गत अनगड़ा प्रखण्डाधीन हेसातु पंचायत के ग्राम पैलधौंसा के टोला-महुआटोली, पिपरटोली, कुसूमटोली, मिचाईटोली एवं सारूबेड़ा क्षेत्र विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल टाटीसिल्वे और ओरमांझी का सीमावर्ती क्षेत्र रहने के कारण उपभोक्ताओं द्वारा पूर्व के विद्युत संबंध रहने के बाद भी नया विद्युत संबंध लिया गया जिसके कारण दो अलग-अलग विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल से विद्युत विपत्र निर्गत हो रहा है, इन स्थानों पर दिनांक 14.03.2022 को कैम्प लगाकर वहाँ के ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त करते हुए जाँचोपरान्त नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 571 / दिनांक 23/03/2022

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/3/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(708)

श्री लोबिन हेम्ब्रम, मा०स०वि०स० से प्राप्त दिनांक–24.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– क–14 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के अन्तर्गत तालझारी प्रखंड के पोखरिया मौजा में वित्तीय वर्ष–2015–16 में एक आवासीय विद्यालय निर्माण की स्वीकृति मिली हुई थी;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में आवासीय विद्यालय की भवन निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है;	स्वीकारात्मक। कार्य एजेंसी–झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की निर्धारित तिथि–23.10.2017। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्त करने की निर्धारित तिथि–22.01.2019। कार्य की अद्यतन भौतिक प्रगति– 31 प्रतिशत। कार्य एजेंसी–झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड राँची के पत्रांक–636, दिनांक–10.03.2022 के अनुसार संवेदक का देहांत हो जाने के कारण कार्य बंद था। संवेदक की कंपनी का पुनर्गठन होने के उपरांत कार्य माह मार्च 2022 में कार्य प्रारंभ करने हेतु संवेदक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है (पत्रांक–SSPA/JSBCCL/2021-2022/472 दिनांक–09.03.2022)। कंपनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निर्माण कार्य दिनांक–30.09.2022 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। यदि संवेदक की कंपनी द्वारा 25 मार्च 2022 तक कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा तो संवेदक को Terminate कर कार्य पूर्ण करने हेतु निविदा की कार्रवाई की जायेगी तथा योजना को छः माह के अंदर कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
3	क्या यह बात सही है कि आवासीय विद्यालय का भवन निर्माण नहीं होने के कारण इस क्षेत्र के गरीब बच्चें शिक्षा से वंचित हो रहे हैं;	अस्वीकरात्मक। साहेबगंज जिला अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 12 आवासीय विद्यालय संचालित है। जिसमें विहित प्रक्रिया के तहत नामांकन करा कर क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर सकते है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कार्य एजेंसी–झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आवासीय विद्यालय का निर्माण सितम्बर 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांकः– 10/ वि०स०प्र०–09/2022 - 907 रांची/दिनांक– 23/03/2022

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप संख्या–886, दिनांक–03.03.2022 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रशाखा–6 (विधायी कार्य), अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/3/2022
(स्मृता कुमारी)
सरकार के अवर सचिव।

(709)

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक- 24.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-39 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही प्रखण्ड के कोरियाडीह स्थित चिगरवा डैम के जीर्णोद्धार कार्य की निविदा निकाली गई है जिसकी प्राक्कलन राशि कुल–02 करोड़ 36 लाख रूपये निर्धारित है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित निविदा में कुल 05 निविदा दाताओं ने निविदा डाली है;	अस्वीकारात्मक। इस निविदा में कुल छः निविदादाताओं ने भाग लिया।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित निविदा में एल–01 शारदानन्दन कुमार नामक संवेदक है जिन्होंने 30% निम्न दर पर निविदा डाली जिनकी कुल राशि 16567585.90 रूपये होने के बावजूद विभागीय अभियन्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा क्रमांक–05 पर एल–04 पर चयनित M/S RKID INFRATECH PRIVATE LIMITED नामक संवेदक जिन्होंने उक्त निविदा राशि 21301181.87 रूपये को उक्त कार्य हेतु आवंटित कर दी है जिससे सरकार को 48 लाख रूपये की नुकसान हुई है जो जाँच का विषय है;	अस्वीकारात्मक। RKID INFRATECH PRIVATE LIMITED को कार्य आवंटित नही किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्रश्नाधित में खण्ड–01 में वर्णित निविदा की उच्च स्तरीय जाँच कराकर संबंधित दोषी अभियन्ताओं एवं पदाधिकारीयों पर कठोर कार्रवाई करते हुए उक्त निविदा नियमावली अन्तर्गत एल–01 में चयनित संवेदक को उक्त कार्य आवंटन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6 / ज०सं०वि०–20–तारां०– 44 / 2022 1698 / राँची, दिनांक– 22/03/2022

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–1012 दिनांक– 05.03.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड / उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/3/22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(710)

श्री नवीन जयसवाल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-24.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-38 का प्रश्नोत्तर-

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री नवीन जयसवाल, माननीय सदस्य विधान सभा, झारखण्ड, राँची	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, राज्य सरकार के विभागीय पत्रांक-1027, दिनांक-20/09/2021 के आलोक में श्री सुरेन्द्र सिंह, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, वेजफेड, राँची को उनके द्वारा किये गये भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के विरुध आरोपित किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुतः विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1027 दिनांक-20.09.2021 के द्वारा श्री सुरेन्द्र सिंह, प्रबंध निदेशक, वेजफेड, राँची के विरुद्ध अपने संसाधनो का सही ढंग से उपयोग न करने और न ही उसका समुचित देखभाल करने, अपने Assets, का ठीक ढंग से बचाव न करने, भविष्य के लिए कार्य दृष्टि का अभाव, वेजफेड, राँची में राष्ट्रीय कषि विकास योजना अन्तर्गत एकरारनामा किसी के साथ करने एवं कार्यान्वयन किसी ओर कम्पनी के साथ करने, सहकारी समितियों को स्वीकृत कार्यशील पूंजी से डीप बोरिंग का कार्य करने, आर०के०भी०वाई० योजना अन्तर्गत सोलर वेजिटेबल डिहाईड्रेशन यूनिट प्रदान करने में अनियमितता बरतने एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, प्रबंध निदेशक, झारखण्ड को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि०, राँची के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता की जाँच में असंतोषजनक जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराना, सोशल मिडिया के माध्यम से सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने, प्रबंध निदेशक, झाम्फकोफेड, राँची के पद पर रहते हुए लघुवनोपज के खरीद एवं बिक्री में वित्तीय अनियिमतता बरतने एवं झाम्फकोफेड, राँची को हानि पहुँचाने आदि का आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि आरोप सिद्ध होने के बावजूद श्री सिंह अपने पद पर विगत पाँच वर्षों से वेजफेड, राँची में पदस्थापित है साथ ही इन्हें विभाग द्वारा विभागीय कार्य, टेन्डर एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य विधि सम्मत रूप से करने की जिम्मेदारी दी गई है जिसकी जिम्मेदारी श्री सिंह नहीं निभा रहे है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। कंडिका-1 में उल्लेखित विभागीय संकल्प संख्या-1027 दिनांक-20.09.2021 के द्वारा श्री सुरेन्द्र सिंह, प्रबंध निदेशक, वेजफेड, राँची के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में विभागीय जाँच पदाधिकारी का अधिगम सम्प्रति प्राप्त नहीं हुआ है। विभागीय जाँच पदाधिकारी से अधिगम प्राप्त होने के उपरान्त तद्नुसार प्रस्तुत मामले में निर्णय लिया जा सकेगा।

346
21.03.2022

(क्रा०पृ०उ०)

3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर्युक्त वर्णित भ्रष्टाचार एवं अनियमिता के आरोपित पदाधिकारी पर प्रपत्र (क) भरते हुए उन्हें निलंबित करने तथा विभागीय दण्ड देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका-1 एवं 2 के अनुरूप।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक-02/निग0 (वि0स0)-08/2022 सह0 346 /राँची, दिनांक- 21.03.2022

प्रतिलिपि-सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0-1153 वि0स0 दिनांक-09.03.2022 के क्रम में 200 सप्रतिलिपि प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(711)

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० –क–17 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र० सं०	प्रश्न	माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण का उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के हुसैनाबाद–हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण जानवरों एवं असामाजिक तत्वों के द्वारा गंदगी फैलाई जाती है, जिससे धार्मिक भावनाएँ आहत होती है,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पंचम झारखण्ड विधानसभा के गठन के पश्चात् अभी तक हुसैनाबाद–हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र में एक भी कब्रिस्तान घेराबंदी योजना की स्वीकृति झारखण्ड सरकार के द्वारा नहीं दी गई है, जबकि पूरे पलामू जिले में कब्रिस्तानों की संख्या इसी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा है,	स्वीकारात्मक। प्रत्येक वर्ष जिलों से प्राप्त प्रस्ताव तथा बजट उपबंध के आलोक में प्राथमिकता के आधार पर कब्रिस्तान घेराबंदी योजनाओं की स्वीकृति दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2020–21 तथा वर्ष 2021–22 में हुसैनाबाद प्रखण्ड का कुल 4 कब्रिस्तान घेराबंदी योजना का प्रस्ताव जिला से प्राप्त है तथा हरिहरगंज प्रखण्ड का प्रस्ताव अप्राप्त है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिले के हुसैनाबाद–हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	योजनाओं पर सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक:– 05/वि०स०ता०प्र०–21/2022 - 892 राँची, दिनांक– 23/03/2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1244 दिनांक–11.03.2022 के प्रसंग में दो सौ (200) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/3/22
(सुरेश रजक)
सरकार के अवर सचिव।

712

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-24.03.2022 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0-कृष-32 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता- श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित कराये जाने वाले बंजर भूमि/टाईस फैलो योजना एवं जलनिधि योजना अन्तर्गत तालाब का जीर्णोद्धार कराया जाता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। बंजर भूमि/टाईस फैलो योजना अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार तथा जलनिधि योजना अन्तर्गत डीप बोरिंग एवं परकोलेशन टैंक का निर्माण किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है वर्णित योजना के तहत तालाबों में पक्के घाट का निर्माण का प्रावधान नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित योजना के तहत तालाबों में एक तरफ पक्के घाट का निर्माण का प्रावधान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान में इस योजना अन्तर्गत पक्के घाट का निर्माण विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(ता0)-21/2022 600 /कृ0, राँची, दिनांक-21-03-2022
प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-885 दिनांक-03.03.2022 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(ता0)-21/2022 600 /कृ0, राँची, दिनांक-21-03-2022
प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं विगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोचांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/बोकल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(713)

श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–41 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष–1972–73 में 227.48 लाख रूपये की लागत से 35 किलोमीटर में सिंचाई हेतु बोकारो जिले के चास प्रखण्ड स्थित पिंडराजोड़ा के कॅदाडीह गांव में बहुउद्देशीय गवई बराज परियोजना की नींव रखी गई थी, जिसमें वर्ष 1982 से ही नहर की पूरी लम्बाई में जल का प्रवाह नहीं हो रहा है;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के पुनरूद्धार का कार्य पत्रांक–3637 दिनांक 15.07.2016 द्वारा 130 करोड़ रूपये की लागत पर 85 किलोमीटर लंबे क्षेत्र पर सिंचाई हेतु काम शुरू कराया गया, जिसे वर्ष 2020 तक पूरा होना था, जो आज भी अधुरा पड़ा हुआ है।	आंशिक स्वीकारत्मक वर्ष 2016 में प्रारम्भ हुआ पुनरूद्धार का कार्य लगभग 85% पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करा लिया जाएगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त जीर्णोद्धार कार्य को यथाशीघ्र पूरा कराने और निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर संवेदक और दोषी पदाधिकारियों–अभियंताओं पर कठोर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं होने के प्रमुख कारण इस प्रकार है– 1. वर्ष 1972–73 में जब यह योजना प्रारम्भ हुई थी, उसी समय नहर की पूरी लम्बाई में भू–अर्जन पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। वर्ष 2016 में जब पुनरूद्धार का कार्य प्रारम्भ हुआ तो ग्रामीण रैयतो द्वारा भू–अर्जन के मुआवजा राशि भुगतान हेतु बार–बार कार्य को बाधित किया जाने लगा। भू–अर्जन का दावा काफी पुराना होने के कारण उसकी सत्यता की जाँच एवं अभिलेख के छानबीन में काफी समय लगा। काफी प्रयास के बाद लंबित जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, तेनुघाट परियोजना, हजारीबाग के कार्यालय में समर्पित किया गया है जिसके भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। 2. मुख्य नहर एवं शाखा नहरों पर बिजली विभाग द्वारा गाडे गए पोल एवं ट्रांसफार्मर को हटवाने में समय लगा, जिसके कारण भी कार्य में विलम्ब हुआ।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
		3. Covid 19 के कारण विगत दो वर्षों के दौरान सीमित-मानव संसाधन से कार्य कराना पड़ा जिससे कार्य की प्रगति काफी प्रभावित हुई । शेष भू-मुआवजा भुगतान के बाद कार्य पूरा कराया जा सकेगा।कार्य यथाशीघ्र पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है। अतः कार्य पूर्ण नहीं होने के लिए संवेदक एवं अभियंता पर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–47/2022 – 1701 रॉंची, दिनांक 22/3/22

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1205 वि०स० दिनांक 10.03.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कॉंके रोड, रॉंची / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रॉंची / मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, रॉंची / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग / मुख्य अभियंता, यांत्रिक रॉंची / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, रॉंची।

E:\MIS Cell Dept\...\Vidhan Sabha\Feb-March 2022\...

(714)

माननीया स0वि0स0, श्रीमति पुष्पा देवी द्वारा दिनांक 24.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–ज–42 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के छत्तरपुर अनुमंडल के महत्वपूर्ण बटाने जलाशय योजना में कुल 3350 एकड़ भूमि अर्जित की गई थी जिसमें 2600 एकड़ भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया एवं 750 एकड़ भूमि का मुआवजा विगत 37 वर्षों से लंबित है;	अस्वीकारात्मक। बटाने जलाशय योजना हेतु कुल आवश्यक 1871.785 एकड़ रैयती भूमि के विरूद्ध 1655.630 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है एवं 208.795 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना शेष है। उक्त शेष भूमि के अधिग्रहण हेतु विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, उत्तर कोयल परियोजना, मेदिनीनगर को रू0 11749.69 लाख उपलब्ध करा दिया गया है। उनके द्वारा भू–अर्जन मुआवजा राशि का भुगतान किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि नौडिहा बाजार प्रखंड के ग्राम नावाडीह (थाना नं0–197) के ग्रामीणों का भी उक्त जलाशय योजना में विगत 37 वर्ष पूर्व 40 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया गया था, जिसमें मात्र 3.62 एकड़ भूमि का मुआवजा राशि प्रक्रियाधीन है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार वर्णित जलाशय में अर्जित / अधिग्रहण किये गये भूमि का शेष राशि भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	हाँ। शेष 208.795 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु रू0 11749.69 लाख विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, उत्तर कोयल परियोजना, मेदिनीनगर को उपलब्ध करा दिया गया है। विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी के स्तर से भू–अर्जन के विभिन्न धाराओं के तहत भू–अर्जन कार्य प्रगति में है।

अनु०– पूरक सामग्री।

Ramesh CEMed.

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 1695 /राँची, दिनांक– 22/03/2022

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक सं0– 1240, दिनांक– 11.03.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 20 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/22

सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची

Ramesh CEMed

115

श्री कोचे मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-24.03.2022 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-कृष-39 का प्रश्नोत्तर।

	प्रश्नकर्त्ता- श्री कोचे मुण्डा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि श्रीमती अंजली मिश्र, वैज्ञानिक (गृह विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, पश्चिम सिंहभूम को पूर्व नियोक्ता द्वारा बर्खास्तगी के तथ्य को छुपाकर अवैध ढंग से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची में कार्यरत है;	अस्वीकारात्मक। श्रीमती अंजली मिश्र की बर्खास्तगी की किसी भी प्रकार की सूचना प्रसार शिक्षा निदेशालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची को प्राप्त नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि श्रीमती अंजली मिश्र को तत्काल प्रभाव से दिनांक-10 अगस्त, 2002 से नियोक्ता वनवासी, कृषि विज्ञान केन्द्र अधौरा, कैमूर से बर्खास्त किया गया है;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार श्रीमती मिश्र को दिनांक-10 अगस्त, 2002 के आदेश के अधीन कृषि विज्ञान केन्द्र, अधौरा, कैमूर की सेवा समाप्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-05/वी०ए०यू०(ता०)-13/2022 616 /कृ०, राँची, दिनांक- 22/03/2022

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०-1245 दिनांक-11.03.2022 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/03/2022

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-05/वी०ए०यू०(ता०)-13/2022 616 /कृ०, राँची, दिनांक- 22/03/2022

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रशासनीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/03/2022

सरकार के अवर सचिव।

716

श्री केदार हाजरा, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–24.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–क०–09 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, जमुआ अनु०जा० आवासीय विद्यालय, खरगडीहा तथा अनुसूचित जनजाति बालिका आवासीय उच्च विद्यालय, पीरटांड़ को 10+2 में उत्क्रमित कर दिया गया है लेकिन उक्त विद्यालयों में अभी तक +2 की पढ़ाई प्रारम्भ नहीं किया गया है जिससे गरीब छात्र जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं उन्हे +2 की पढ़ाई में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अनुसूचित आवासीय विद्यालय, जमुआ, खरगडीहा तथा अनु० जनजाति बालिका आवासीय विद्यालय, पीरटांड़ में +2 की पढ़ाई प्रारम्भ करवाना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त विद्यालयों में +2 की पढ़ाई प्रारम्भ करवाने संबंधी कोई प्रस्ताव विभाग स्तर पर विचाराधीन नहीं है। (1) अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय पीरटांड से नजदीकी +2 उच्च विद्यालय कुन्हरलालो, पीरटांड की दूरी 13 KM है। (2) अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय जमुआ से नजदीकी +2 उच्च विद्यालय चरघरा जोरासांख, जमुआ की दूरी 09 KM है। (3) अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय खरगडीहा से नजदीकी लंगटा बाबा इंटर कॉलेज मिर्जागंज, जमुआ की दूरी 05 KM है। उपरोक्त विद्यालयों में छात्र/छात्राएँ शिक्षा ग्रहण कर सकते है।

झारखण्ड सरकार,
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–02/वि० स०–03/2022–क– 905 रॉची, दिनांक– 23/03/2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉची को उनके ज्ञाप सं०–451, दिनांक–24.02.2022 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/3/22

(सुरेश रजक)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

(117)

दिनांक 24.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या कृष–14 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री बंधु तिर्की
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>(1) क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत चान्हों प्रखण्ड के चटवल लैम्पस में वित्तीय वर्ष 2018–19 में किसान सुकरी देवी, मदन साहु, अर्जुन भगत, लाल शिवकुमार नाथ शाहदेव तथा मुजिबुल्लाह खान द्वारा क्रमशः 39.20 क्विंटल, 70 क्विंटल, 80–क्विंटल 03–क्विंटल एवं 5.80 क्विंटल धान बिक्री किया गया जिसका भुगतान अब तक लंबित है;</td><td>खरीफ विपणन मौसम 2018–19 में राँची जिलान्तर्गत चान्हों प्रखण्ड के चटवल लैम्पस में किसानों के लंबित भुगतान के क्रम में पाया गया कि मे० एस०बी०सी० एक्सपोर्ट प्रा० लि० के माध्यम से प्रतिनियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर/लेखा कार्मिक श्री अमित कुमार मिश्रा द्वारा किसानों का फर्जी आई०डी० बनाकर अपने बैंक खाता में किसानों की राशि हस्तांतरण कर लिया गया था। जाँचोपरान्त संबंधित बाह्य स्रोत एजेंसी मे० एस०बी०सी० एक्सपोर्ट प्रा० लि० से किसानों की लंबित राशि की वसूली कर ली गई है एवं किसानों को भुगतान कर दिया गया है।
मात्रा क्वींटल में राशि रूपये में
<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>किसान का नाम</th><th>बेचे गये धान की मात्रा</th><th>भुगतेय राशि</th><th>भुगतान की गयी राशि</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>अर्जुन भगत</td><td>80.00</td><td>1,52,000.00</td><td>1,52,000.00</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>मोजिबुल्लाह खान</td><td>5.80</td><td>11,020.00</td><td>11,020.00</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>शिव कुमार नाथ शाहदेव</td><td>3.00</td><td>5,700.00</td><td>5,700.00</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>सुकरी देवी</td><td>39.20</td><td>74,480.00</td><td>74,480.00</td></tr>
</table>
दोषी कर्मी श्री अमित कुमार मिश्रा के विरूद्ध प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, चान्हों द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।
जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य निगम, राँची द्वारा सूचना दी गयी है कि मदन कुमार साहू द्वारा 120 क्वींटल धान पैक्स में दिया गया था, परन्तु किसान को धान वापस कर दिया गया।</td></tr>
<tr><td>(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार किसानों के बकाये राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>कंडिका 01 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।</td></tr>
</table>

ह०/–
(ज्योति कुमारी झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–27/2022 840 /राँची, दिनांक 22/03/22

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–593, दिनांक 25.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/03/2022

सरकार के अवर सचिव।

718

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 24.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा० 13 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्ता
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित राशन कार्ड धारियों को मिलता है;	सोना–सोबरन धोती साड़ी वितरण योजनान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में दो बार धोती/लुंगी एवं साड़ी अनुदानित दर पर वितरित करने का प्रावधान किया गया है। विभागीय संकल्प संख्या– 3029, दिनांक 16.11.2021 द्वारा इस योजना को झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों के लिए भी विस्तारित किया गया।
(2) क्या यह बात सही है कि वर्णित योजना हेतु धोती एवं साड़ी खरीद हेतु 500 करोड़ रूपये का प्रावधान कर राज्य के बाहर की कम्पनी से धोती साड़ी खरीद की गई है;	वित्तीय वर्ष 2021–22 में सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजनान्तर्गत एक वर्ष में दो बार वस्त्रों के वितरण किये जाने हेतु 500 करोड़ रूपये का बजटीय उपबंध किया गया है। झारखण्ड मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरांत सोना–सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के संचालन हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–3078, दिनांक 27.11.2020 के आलोक में खुली निविदा के माध्यम से आपूर्तिकर्त्ता के चयन की कार्रवाई की गई है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार झारखण्ड राज्य के बुनकरों को स्वावलंबी बनाने एवं इसे व्यवसाय को रोजगार से जोड़ने हेतु यहाँ के कारीगरों द्वारा निर्मित धोती साड़ी क्रय करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	संकल्प में निहित प्रावधानों के आलोक में निर्दिष्ट अर्हता/पात्रता रखने वाले राज्य के बुनकर/संस्थान, निविदा में भाग लेने हेतु स्वतंत्र है।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–26/2022 833 /राँची, दिनांक 22/03/22
प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 890, दिनांक 03.03.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/2022
सरकार के अवर सचिव।

(719)

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–24.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–क०–18 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि खूँटी जिले में 4.52 प्रतिशत अनुसूचित जाति निवास करते है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति के गरीब बच्चों के पठन–पाठन के लिए आवासीय विद्यालय नहीं है;	स्वीकारात्मक। खूँटी जिला में अनुसूचित जाति के लिए आवासीय विद्यालय संचालित नहीं है। राज्य में अनुसूचित जाति के लिए 23 आवासीय विद्यालय संचालित हैं।
3	क्या यह बात सही है कि आवासीय विद्यालय नहीं होने के कारण बच्चों को पठन–पाठन में असुविधा होती है।	अनुसूचित जाति के बच्चे गैर आवासीय विद्यालय में पठन–पाठन कर रहे हैं।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खूँटी जिले में अनुसूचित जाति के बच्चों के पठन–पाठन के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	खूँटी जिला में अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोलने संबंधी वर्तमान में कोई प्रस्ताव विभाग स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।
ज्ञापांक–02/वि० स०–10/2022–क– 906 राँची, दिनांक– 23/03/2022

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–1344, दिनांक–15.03.2022 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/3/22

(सुरेश रजक)
सरकार के अवर सचिव।

(720)

श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–44 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिले के प्रखण्ड–राहे में कोकरो सिंचाई योजना अन्तर्गत नहर के मरम्मति/सुदृढ़ीकरण फेज–2 योजना प्रस्तावित है,	स्वीकारात्मक।
2.	यदि यह बात सही है कि उक्त योजना का डी०पी०आर० विभाग में उपलब्ध है,	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु सरकार के पास पर्याप्त राशि भी उपलब्ध है,	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कोकरो नहर फेज–2 योजना को प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कोकरो सिंचाई योजना के बलुआडीह शाखा नहर के लाईनिंग एवं योजना के वितरणियों के पुनरूद्धार कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–50/2022 – 1699 /राँची, दिनांक 22/03/2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1241 वि०स० दिनांक 11.03.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(721)

माननीय स0वि0स0, श्री कमलेश कुमार सिंह द्वारा दिनांक 24.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0– ज–43 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के बटाने जलाशय योजना झारखंड एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के हरिहरगंज एवं छतरपुर प्रखंड में बटाने जलाशय योजना से लगभग 2500 हे0 भूमि में सिंचाई क्षमता का सृजन होगा;	अस्वीकारात्मक। वस्तुतः बटाने जलाशय योजना से बिहार राज्यान्तर्गत लगभग 10720 हे0 भूमि में तथा झारखण्ड राज्यान्तर्गत पलामू जिले के हरिहरगंज एवं छतरपुर प्रखंड में लगभग 1406 हे0 भूमि में सिंचाई क्षमता का सृजन होगा।
3.	क्या यह बात सही है कि बटाने जलाशय योजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो गये है, परन्तु असामाजिक तत्वों के द्वारा बटाने जलाशय योजना के दो गेट को उठाकर वेल्ड कर दिया गया है, जिसके कारण जलाशय में जल का भंडारण नहीं हो पा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। एक अदद गेट को उठाकर वेल्ड कर दिया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बटाने जलाशय योजना मे वेल्ड गेट को गिराकर पलामू जिले के हरिहरगंज व छतरपुर प्रखंड में सिंचाई क्षमता का सृजन कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	योजना के डूब क्षेत्र के भू–अर्जन एवं विस्थापितों के पुनर्वास संबंधी मुआवजा का भुगतान शत–प्रतिशत नहीं होने के कारण विस्थापितों द्वारा डैम के अवशेष कार्यों को पूरा करने नहीं दिया जा रहा है तथा डैम के छः अदद गेटों में से एक अदद गेट को उठाकर वेल्ड कर दिया गया है, जिसके कारण डैम में जल भंडारण नहीं हो पा रहा है। वेल्ड गेट को गिराकर शेष यांत्रिक कार्य पूरा कर पलामू जिले के हरिहरगंज व छतरपुर प्रखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी।

अनु०– पूरक सामग्री।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :- 1697 /राँची, दिनांक- 22/03/2022

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक सं0– 1239, दिनांक– 11.03.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 20 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/22

सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची

722

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा-12 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के विश्रामपुर प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम नवाडीह कला में विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराया गया है जिसका कार्य पूर्ण हो गया है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि अभी तक विद्युत लाईन चालू नहीं होने के कारण क्षेत्र की जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शीघ्र विद्युत आपूर्ति चालू कराना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	पलामू जिला के विश्रामपुर प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-नवाडीह कला विद्युत सब-स्टेशन में एक अदद् 05 MVA का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापित है परंतु सब-स्टेशन अन्तर्गत सुरक्षा उपकरण (यथा VCB, 11KV AB Switch) अधिष्ठापित नहीं है। साथ ही साथ 11 के०वी० का फीडर अभी नहीं बना है। उपरोक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु विद्युत सामग्री की आवश्यकता है। अतः विद्युत सामग्री की उपलब्धता के पश्चात् माह जून 2022 तक वर्णित विद्युत सब-स्टेशन को चालू करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 533 / दिनांक 16/03/2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

C:\Users\Admin\Downloads\Answer (6).docx 32

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०– कृष–11 का उत्तर सामग्री प्रतिवेदन के संबंध में।

<table>
<tr><td>क्र० सं०</td><td>प्रश्नकर्ता</td><td>उत्तरदाता</td></tr>
<tr><td></td><td>श्री मनीष जायसवाल, माननीय स०वि०स०</td><td>श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची</td></tr>
<tr><td></td><td>प्रश्न</td><td>उत्तर</td></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि राज्य में मार्च, 2021 में मुख्यमंत्री पशुधन योजना लागू की गई है, जिसके तहत् सरकार द्वारा लोगों को गाय, बकरी, सूअर, मुर्गी एवं बत्तख पालन कराकर आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य है,</td><td>स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि सरकार को वित्तीय वर्ष 2020–21 में खण्ड–01 में वर्णित योजनान्तर्गत राज्य में कुल–10,492 गाय बाँटने का लक्ष्य निर्धारित थी, परन्तु संबंधित पदाधिकारियों की लापरवाही में राज्य में मात्र 356 गाय बांटी जा सकी, जिसमें हजारीबाग में कुल निर्धारित लक्ष्य 235 की अपेक्षा लक्ष्य शून्य रही तथा बकरी, सूअर, मुर्गी एवं बत्तख पालन हेतु लगभग 758 लाभुकों को भी संबंधित पदाधिकारियों की लापरवाही का शिकार होना पड़ा है;</td><td>उक्त योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रथम चरण के अन्तर्गत कुल 8934 गायों के वितरण हेतु अनुदान की राशि लाभुकों को उपलब्ध करायी गयी है। इस योजनान्तर्गत अभी तक कुल 1739 गायों का वितरण किया जा चुका है तथा शेष गायों के वितरण की प्रक्रिया निरंतर जारी है। विगत दो वर्षों से कोविड–19 महामारी के फलस्वरूप पशु मेला आदि के आयोजन पर निषेध लागू करने के कारण गायों के वितरण की प्रक्रिया धीमी रही है परन्तु वर्तमान में गाय वितरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।
हजारीबाग जिला में दो दुधारू गाय वितरण की योजना अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 235 के आलोक में कुल अनुमोदित 235 प्रस्तावों के विरूद्ध 63 लाभुकों को एक–एक गाय उपलब्ध करा दी गई है।
प्रश्न के शेष भाग के आलोक में वस्तुस्थिति निम्नवत् है –
<table>
<tr><td>क्र. सं.</td><td>मद</td><td>प्राप्त लक्ष्य</td><td>कुल अनुमोदित</td></tr>
<tr><td>1</td><td>बकरा विकास योजना</td><td>507</td><td>385</td></tr>
<tr><td>2</td><td>सूकर विकास योजना</td><td>108</td><td>86</td></tr>
<tr><td>3</td><td>बैकयार्ड लेयर कुक्कुट</td><td>59</td><td>43</td></tr>
<tr><td>4</td><td>ब्रायलर कुक्कुट की योजना</td><td>192</td><td>135</td></tr>
<tr><td>5</td><td>15 दिवसीय बत्तख चूजा वितरण</td><td>345</td><td>186</td></tr>
</table>
नियमानुसार चयनित लाभुकों को परिसम्पत्तियों का वितरण हजारीबाग जिला में किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित योजना मद में जिला पशुपालन पदाधिकारी, हजारीबाग को 2.26 करोड़ रुपये राशि उपलब्ध कराई गई जिसे पीएल बैंक खाते में जमा कर दिया गया,</td><td>जिला पशुपालन पदाधिकारी, हजारीबाग को उपलब्ध करायी गई कुल राशि रु० 2,29,16,100/– (दो करोड़ उनतीस लाख सोलह हजार एक सौ रुपये) में से DBT के माध्यम से रु० 1,40,77,123/– (एक करोड़ चालीस लाख सतहत्तर हजार एक सौ तेईस रुपये) लाभुकों के बैंक खाते में हस्तांतरित की गई है, जबकि अन्य लाभुकों को योजना का लाभ देने के उद्देश्य से रु० 85,91,627/– (पचासी लाख एकानवे हजार छः सौ सत्ताईस रुपये) जिला परिषद् हजारीबाग के पी०एल० खाते में हस्तांतरित की गई है। अवशेष राशि रु० 2,47,350/– (दो लाख सैतालीस हजार तीन सौ पचास रुपये) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रत्यार्पित कर दी गई है।</td></tr>
</table>

4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित योजनान्तर्गत हजारीबाग सहित राज्य के सभी जिलों के लाभुकों को चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व उक्त योजना का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	सभी जिलों के लाभुकों को चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व उक्त योजना का लाभ देने के लिए विभाग प्रयासशील है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 07/2022 प०पा० 269 राँची, दिनांक 16/03/22

प्रतिलिपि –अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 284 दिनांक 24.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं 200 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.2022

(शिव कुमार कंडिया)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 07/2022 प०पा० 269 राँची, दिनांक 16/03/22

प्रतिलिपि – अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची /माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, (विधायी शाखा, पशुपालन प्रभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.2022

सरकार के अवर सचिव

(7224)

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-24.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-34 का प्रश्नोत्तर-

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय सदस्य विधान सभा, झारखण्ड, राँची	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत बड़कागाँव एवं केरेडारी प्रखंड के लोग कृषि कार्य पर ही निर्भर हैं ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों प्रखण्डों में कृषि उत्पाद को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने हेतु कोल्ड स्टोरेज का निर्माण नहीं किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कंडिका (एक) में वर्णित प्रखण्डों में कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य के प्रत्येक जिले में 5000 एम0टी0 क्षमता के एक-एक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। जिसके तहत् वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के लिए हजारीबाग जिला के अंचल-सदर, ग्राम-डुमर में 5000 एम0टी0 क्षमता के कोल्ड स्टोरेज का निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। साथ ही राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में 30 एम0टी0 क्षमता के एक-एक कोल्ड रूम का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। जिसके तहत् बड़कागाँव के बड़कागाँव पूर्वी पैक्स, ईचाक के लोहड़ी पैक्स एवं सदर के चुटियारो पैक्स में 30 एम0टी0 क्षमता के कोल्ड रूम का निर्माण किया गया है। सदर प्रखण्ड को छोड़कर अन्य प्रखण्डों में निर्मित कोल्ड रूम संबंधित पैक्स को हस्तांतरित कर दिया गया है। विष्णुगढ़, बरही एवं चौपारण प्रखण्ड में 30 एम0टी0 क्षमता के कोल्ड रूम निर्माणाधीन है। राज्य के सुदूर गाँव, जहाँ विद्युतीकरण का अभाव है तथा बिजली की अनियमितता रहती है वैसे गाँव के स्थानीय हाट/बाजार के आस-पास उपयुक्त स्थानों में सौर उर्जा संचालित 05 एम0टी0 क्षमता के इको फ्रेंडली मिनी कोल्ड रूम का अधिष्ठापन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जिसके तहत् वर्तमान वित्तीय वर्ष में हजारीबाग जिला अन्तर्गत बड़कागाँव, चौपारण एवं विष्णुगढ़ प्रखण्ड में मिनी कोल्ड के अधिष्ठापन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

349
21.03.2022

(कृ० पृ० 30)

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक–03/बजट सह0 (विधान सभा)–10/2022–349 /राँची, दिनांक– 21·03·2022

प्रतिलिपि–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0–884 वि0स0 दिनांक–03.03.2022 के क्रम में 200 पत्रलिखित प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

725

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक- 24.03.2022 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-33 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र के प्रखण्ड राजमहल अंतर्गत गंगा तट पर मोकिमपुर पंचायत के ग्राम सरकण्डा (चण्डीपुर उल्ला) होते हुए मंगलहाट ग्राम तक तेनुआ नाला स्थित है, जिसपर छः चेक डैम का निर्माण सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विगत् 15 वर्ष पूर्व किया गया था,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि विगत 10 वर्षों से खण्ड-01 में वर्णित तेनुआ नाला पर अवस्थित चेक डैम का गहरीकरण नहीं होने तथा चेक डैम के पास गाद के जमाव के कारण हजारों एकड़ खेतीहर जमीन जलमग्न हो गयी है, जिससे चार पंचायत के कृषक प्रभावित है,	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त वर्णित तेनुआ नाला पर निर्माणाधीन चेक डैम के आसपास क्षेत्रों का गहरीकरण कर जल निकासी की अविलम्ब व्यवस्था कर रैयतों के हजारों एकड़ जमीन पर फसल उपज कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित चेकडैम से जल जमाव की समस्या नहीं है। जल निकासी हेतु विभाग द्वारा सर्वेक्षणोपरान्त कार्रवाई की जाएगी

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-20-तारां0- 36/2022 1703 / राँची, दिनांक- 22/03/22

प्रतिलिपि :-(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-747 दिनांक-28.02.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय कौंके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

726

श्री अमित कुमार मंडल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–25 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री अमित कुमार मंडल, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के पथरगामा प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-चिलरा, चैनपुर एवं वसंतराय प्रखण्ड के फुलवरिया, हिलावे (हरिजन टोला) में विद्युत उपभोक्ताओं को गलत बिजली बिल दिया जा रहा है जैसे-करमलाल साह, ग्राम-चिलरा के नाम दो कनेक्शन कर दिया गया है जिसका नं० इस प्रकार-CLA DS-00109 एवं EIPGM DS-000593 है और दोनों कनेक्शन का बिल एक ही व्यक्ति को आ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त में नये विद्युत संबंध देने का प्रावधान था, जिस कारण संभवतः जानकारी के अभाव में कुछ ग्रामीणों द्वारा पूर्व से एक विद्युत संबंध रहते हुए भी नया विद्युत संबंध ले लिया गया है, जिस कारण ऐसे उपभोक्ताओं के घरों में नये एवं पुराने दोनो विद्युत संबंधों का विपत्र आ रहा है। इन मामलों में, जो भी उपभोक्ता एक विद्युत संबंध को बंद करवाने हेतु आवेदन दे रहे है, उनका पुराने विद्युत संबंध को कटवाकर उसका विपत्रीकरण बंद कर समस्या का समाधान किया जा रहा है।
2. क्या यह बात सही है कि बिजली विभाग द्वारा पंचायत वार कैम्प लगाकर खण्ड-1 में वर्णित त्रुटियों को ठीक नहीं किया गया है, जिस कारण उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल जमा नही कर पा रहे हैं और विभागीय लापरवाही के कारण उपभोक्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। उपभोक्ताओं से आवेदन प्राप्त होने पर एक विद्युत संबंध को कटवाकर समस्या का समाधान किया जा रहा है। छापेमारी के दौरान, वैसे व्यक्ति, जो अवैध रुप से विद्युत का उपयोग करते हुए पाए जाते हैं, उनपर ही प्राथमिकी दर्ज की जाती है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गोड्डा विधान-सभा अन्तर्गत पंचायत वार विभागीय कैम्प लगाकर ऐसे त्रुटियों का निराकरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	जिन उपभोक्ताओं के द्वारा संबंधित कार्यालय में, इस संबंध में आवेदन दिया जा रहा है, उनके समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। आवश्यकतानुसार कैम्प लगाकर भी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 558 / दिनांक 22/03/2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

727

श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०-27 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिये जाने की योजना थी, जिस पर अब तक सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ पायी है;	बजट अभिभाषण 2022–23 में गरीब और किसानों पर बिजली बिल का बोझ कम करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक परिवार को मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिये जाने का प्रस्ताव है। इस पर विभागीय कार्यवाही प्रगति पर है।
2. क्या यह बात सही है कि 100 यूनिट निःशुल्क बिजली के लिए सब्सिडी (अनुदान) राशि का अब तक आकलन नहीं किया गया है, जिससे इस स्कीम का लाभ उपभोक्ताओं को दे पाना संभव नहीं हो पा रहा है;	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 100 यूनिट निःशुल्क बिजली के लिए सब्सिडी (अनुदान) राशि का आकलन कर वर्ष 2020 में उपलब्ध करा दिया गया था। परन्तु कोरोना महामारी के कारण इस संबंध में आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकी। पुनः इस संबंध में सब्सिडी (अनुदान) की राशि का आकलन किया जा रहा है।
3. क्या यह बात सही है कि सरकार ने चार सौ यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वालों को सब्सिडी का लाभ नहीं दिये जाने का फैसला लिया है और उपभोक्ताओं को सब्सिडी के लाभ से वंचित होना होगा;	स्वीकारात्मक। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.02.2022 को आहुत कैबिनेट बैठक में, चार सौ (400) यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ नहीं दिये जाने का फैसला लिया गया है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो इस संबंध में सरकार कोई कदम उठाने का विचार है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 562 / दिनांक 22/03/2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/3/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।